(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2343–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–08–2015 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त उटीला जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 4/अ–12/2013–14.

.....

1–नरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री गनपतराम शर्मा
2–रामसेवक पुत्र श्री गनपतराम शर्मा
3–अरविंद पुत्र श्री गनपतराम शर्मा
4–रामदास पुत्र श्री गनपतराम शर्मा
निवासी ग्राम बंधा तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ..... अनावेदक

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक–अनावेदक शासन

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 9/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत्त उटीला जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक कमांक 1 ग्राम बंधा स्थित भूमि सर्वे कमांक 74, 94, 102, 259, 268 व 269 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 41/13–14/अ–12 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 2–8–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करने में राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण की

भूमि पर पड़ोसी कृषक द्वारा किये गये कब्जे की भूमि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि पड़ोसी कृषक द्वारा आवेदकगण की भूमि पर कब्जा किये जाने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिये उनके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया था, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमांकन नहीं किये जाने के कारण आवेदकगण के विरूद्ध अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र पर ही विधिवत् सीमांकन कार्यवाही की जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन में आवेदकगण सहित पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोइ सूचना नहीं दी गई है, अतः आवेदकगण एवं पड़ोसी कृषकों की उपस्थिति में की गई सीमांकन कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है, इसलिये इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को विधिवत् सूचना देकर उनकी उपस्थित में प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत् पुनः सीमांकन करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार वृत्त उटीला जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर